कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।

पत्रांक 112/XV दिनांक : 20–04–2021

प्रशासनिक आदेश

जनपद न्यायालय, गाजीपुर में कोविड–19 से संबंधित गठित कमेटी के अध्यक्ष श्री गुलाब सिंह, अपर जिला जज कोर्ट संख्या–03 तथा सदस्य डा0 लक्ष्मी कान्त राठौर, विशेष न्यायाधीश, ई0सी0एक्ट, गाजीपुर (कोविड–19 के अन्य सदस्यगण श्री विष्णु चन्द्र वैश्य एवं श्री घनश्याम शुक्ला को अवकाश पर होना बताया गया) द्वारा आज दिनांक 20–04–2021 को कोविड–19 के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। चूँकि मामला अति आवश्यक एवं गम्भीर है, ऐसी स्थिति में कोविड–19 से संबंधित गठित कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया गया।

जनपद न्यायालय, गाजीपुर में गठित कोविड–19 कमेटी की ओर से रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि कु0 अनामिका चौहान, चतुर्थ अपर न्यायिक दण्डाधिकारी, गाजीपुर, श्री आदर्श अमोल प्रथम अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन गाजीपुर तथा श्री शिवजी यादव सिविल जज जूनियर डिवीजन मुहम्मदाबाद, गाजीपुर, मुख्यालय पर कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारी श्री पंकज श्रीवास्तव, वाह्यस्थित न्यायालय मुहम्मदाबाद के तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण श्री शिवांशु पाण्डेय, श्री अशोक तिवारी, श्री मोनू बिन्द एवं श्री विशाल सिंह की कोरोना रिपोर्ट पाजीटिव पायी गयी है। आख्या में यह भी उल्लिखित किया गया है कि पूर्व में भी कई न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण की कोरोना रिपोर्ट पाजीटिव पायी गयी थी तथा पूर्व में जिन अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण की कोरोना रिपोर्ट पाजीटिव पायी गयी थी वे होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करवा रहे हैं, अभी तक किसी की रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त नहीं हुई है।

आख्या में यह भी उल्लिखित किया गया है कि मुख्यालय जनपद न्यायालय गाजीपुर तथा वाह्यस्थित न्यायालय मुहम्मदाबाद एवं सैदपुर में कोविड–19 के संक्रमण फैलने की स्थिति काफी भयावह है। जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कोविड–19 रिपोर्ट पाजीटिव पायी गयी है, वे सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण दिनांक 19–04–2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कार्य किये हैं। न्यायालय परिसर में आने वाले तमाम वादकारी/अधिवक्तागण तथा न्यायालय के अन्य सहकर्मी एवं अधिकारीगण इनके सम्पर्क में आए होंगे, जिस कारण कोविड–19 संक्रमण के तीव्र गति से फैलने की काफी सम्भावना है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1941/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 05 April 2021 के अनुपालन में कमेटी द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि मुख्यालय गाजीपुर तथा वाह्यस्थित न्यायालय मुहम्मदाबाद एवं सैदपुर के सम्पूर्ण न्यायालय कक्ष/कार्यालय तथा सम्पूर्ण न्यायालय परिसर एवं सम्पूर्ण बार एसोसियेशन के परिसर/अधिवक्ता चेम्बर का सेनेटाइजेशन कराया जाना आवश्यक है तथा सम्पूर्ण सेनेटाईजेशन का कार्य न्यायालय बंद करने के उपरान्त ही सम्भव है। कमेटी द्वारा दिनांक 22–04–2021 एवं 23–04–2021 को सम्पूर्ण न्यायालय परिसर को बंद करके सेनेटाईजेशन कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

जनपद न्यायालय, गाजीपुर में गठित कोविड–19 कमेटी द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 20–04–2021 से मैं सहमत हूँ। कोविड–19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु जनपद न्यायालय, गाजीपुर सहित वाह्यस्थित न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन मुहम्मदाबाद एवं सैदपुर के सम्पूर्ण परिसर, न्यायालय/कार्यालय तथा सम्पूर्ण अधिवक्ता शेड का सेनेटाइजेशन कराया जाना आवश्यक हो गया है, जिसके लिए जनपद न्यायालय, गाजीपुर सहित वाह्यस्थित न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन मुहम्मदाबाद एवं सैदपुर दिनांक 22–04–2021 एवं 23–04–2021 को बंद किया जाना आवश्यक है।

अतः दिनांक 22–04–2021 एवं 23–04–2021 को जनपद न्यायालय, गाजीपुर सहित वाह्यस्थित न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन मुहम्मदाबाद एवं सैदपुर उक्त सेनीटाइजेशन हेतु बन्द किया जाता है।

उक्त कार्यदिवसों में घोषित अवकाश के दिनों में सत्र न्यायालयों में रिमाण्ड कार्य हेतु श्री विष्णु चन्द्र वैश्य, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय गाजीपुर की ड्यूटी पूर्व पारित आदेशानुसार लगायी गयी है।

मजिस्ट्रेट न्यायालयों में रिमाण्ड कार्य हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर पृथक रूप से आदेश पारित करेंगे।

दिनांक 22–04–2021 को न्यायालयों में नियत जमानत प्रार्थनापत्र तथा एडमिशन की पत्रावलियों में दिनांक 27–04–2021 की तिथि तथा दिनांक 23–04–2021 को नियत जमानत प्रार्थनापत्र तथा एडमिशन की पत्रावलियों में दिनांक 28–04–2021 की तिथि निर्धारित की जाती है।

इसी प्रकार दिनांक 22–04–2021 को नियत मुकदमों में दिनांक 20–05–2021 की सामान्य तिथि तथा दिनांक 23–04–2021 को नियत मुकदमों में दिनांक 21–05–2021 की सामान्य तिथि नियत की जाती है।

जिलाधिकारी गाजीपुर, मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, गाजीपुर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मुहम्मदाबाद एवं अधिशासी अधिकारी टाउन एरिया सैदपुर, गाजीपुर, जनपद न्यायालय परिसर सहित वाह्यस्थित न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन मुहम्मदाबाद एवं सैदपुर में समस्त न्यायालय/कार्यालय, विश्राम कक्ष/परिसर एवं अधिवक्तागण के बैठने के स्थान/अधिवक्तागण शेड का मानक के अनुरूप दिनांक 22–04–2021 एवं दिनांक 23–04–2021 तथा अन्य अवकाश के दिनों में भी गहन तरीके से सेनेटाईजेशन कराया जाना सुनिश्चित करें। इस कार्य को केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय गाजीपुर एवं न्यायालय प्रबन्धक, जनपद न्यायालय, गाजीपुर तथा वाह्यस्थित न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन मुहम्मदाबाद एवं सैदपुर में कार्यरत उप नाजिर अपनी देखरेख में कराया जाना सुनिश्चित करके तथा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट दिनांक 26–04–2021 को प्रस्तुत करें।

आदेश की एक प्रति नोडल आफिसर कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की जाए कि वे इसे जनपद न्यायालय के वेवसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें एवं आदेश की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की जाए कि वे इसका प्रकाशन दैनिक समाचारपत्रों में कराना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की एक प्रति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित की जाए।

20/4/21

जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर।

<u>दिनॉकः 20–04–2021</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u>

1– प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गाजीपुर।
2– सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर।
3– जिलाधिकारी, गाजीपुर।
4– पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
5– मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर।
6– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।
7– अधीक्षक, जिला कारागार, गाजीपुर।
8– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजीपुर।
9– समस्त बार एसोसियेशन, गाजीपुर।

20/4/21

जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर।

जनपद न्यायाधीश
गाजीपुर